प्रदर्शन — तहसील कार्यालय का घेराव, प्रशासन के खिलाफ गरजे अन्नदाता

किसानों का गुस्सा फूटा : ट्रैक्टर रैली से पनागर में पांच किमी लंबा जाम

नवभारत, जबलपुर। भारतीय किसान संगठन के बैनर तले बुधवार को पनागर की सड़कों पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। जिले के अलग-अलग गांवों से आए सैकड़ों किसानों ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली और पनागर तहसील कार्यालय का घेराव किया। रैली के चलते पनागर मुख्य मार्ग पर करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं और राहगीरों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और व्यापक रूप दिया जाएगा।

किसानों की प्रमुख मांगें

किसानों ने मुख्य रूप से पराली जलाने पर रोक का आदेश स्थगित किया जाए और सरकार पराली बाँधने की व्यवस्था, उर्वरक वितरण में टोकन सिस्टम बंद कर पुरानी व्यवस्था लागू की जाए, थ्री फेज बिजली दिन में दी जाए और फर्जी हार्सपावर बढ़ाने की समस्या हल की जाए, एमएसपी के आधार पर अनाज खरीदी की जाए और लंबित भुगतान शीघ्र किया जाए। एसएमएस (पराली प्रबंधन) कानून को वापस लिया जाए, अधिग्रहित जमीनों पर किसानों के नाम पुन: दर्ज किए जाएं। रैली में भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव, राष्ट्रीय महासचिव किशन पटेल, प्रदेश अध्यक्ष विवेक पटेल, जिला अध्यक्ष रामराज पटेल, डॉ. संतोष पटेल, अरविंद पटेल, नवीन त्रिलोक पटेल, रोहित पटेल, सोनू पटेल, योगेश पटेल (राजा), अजय पटेल (अज्जू) सहित हजारों किसान शामिल हुए।

पुलिस की सतर्कता

आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने तहसील कार्यालय और मुख्य मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया था। किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी मौके पर डटे रहे। रैली के अंत में संगठन के नेताओं ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, अपर कलेक्टर ने मांगें पूरी करने आश्वासन दिया।

इनका कहना है

हमने पराली बाँधने की व्यवस्था कई बार मांगी, पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब अगर खेत में आग लगानी पड़ी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी।
किशन पटेल, किसान

खाद-बीज के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ती है, ऊपर से टोकन सिस्टम ने और मुश्किल कर दी है। किसान खेत में काम करे या दफ्तरों के चक्कर लगाए?
अनुराग पटेल, किसान

फसल बेचने के बाद महीनों तक भुगतान नहीं मिलता है, कर्ज लेकर खेती करते हैं, जिसे चुकाने में काफी परेशानी हो जाती है।
नवीन पटेल
किसान

हम चाहते हैं कि बिजली दिन में मिले ताकि सिंचाई ठीक से कर सकें। रात में बिजली आने से दुर्घटनाएं होती हैं और फसल भी खराब होती है।
नरबद पटेल, किसान

बताओं क्या मौजूदा विधायक व खनन कारोबारी को बनाओंगे पक्षकार

रज्जाक के मामले में हाईकोर्ट ने पैरोकार से पूछा जवाब के लिये मोहलत

जबलपुर। हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक की ओर से पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दायर मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता के पैरोकार से पूछा कि क्या वो मामले में उल्लेखित राजनीतिक व्यक्ति, मौजूदा विधायक व खनन कारोबारी को याचिका में पक्षकार बनाना चाहते है। जिस पर आवेदक के पैरोकार ने निर्देश प्राप्त करने समय की राहत चाही। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर तक के लिये मुलतवीं कर दी।

अब्दुल रज्जाक की ओर से दायर मामले में कहा गया है कि सरकार द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। दलील दी गई कि रज्जाक के खिलाफ दर्ज कई मामलों में अभी तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। जैसे ही एक मामले में जमानत मिलती है, उसी समय दूसरे प्रकरण में गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ छलावा है। याचिका में आरोप है कि व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पूर्व कैबिनेट मंत्री व मौजूदा विधायक के इशारे पर की जा रही है। याचिका में मौजूदा विधायक के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। मामले में आगे हुई सुनवाई दौरान न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये। मामले में रज्जाक की ओर से सीनियर एडवोकेट मोह. अली पैरवी कर रहे है।

कलेक्टर के दस लाख जुर्माने संबंधी आदेश पर रोक

मप्र हाईकोर्ट ने कलेक्टर बालाघाट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अवैध कॉलोनी के नाम पर एक वयोवृद्ध पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये थे। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है दरअसल बालाघाट निवासी 92 वर्षीय चंदन कुमार बरमटे की ओर से अधिवक्ता दिव्य कृष्ण बिलैया ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता वयोवृद्ध है और उसने अपने इलाज के लिए स्वयं की पैतृक भूमि में से पांच प्लॉट का विक्रय किया था। बालाघाट कलेक्टर ने नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। दलील दी गई कि कलेक्टर द्वारा लगाया गया जुर्माना कॉलोनी डेवलपमेंट रूल्स 2021 एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत अवैधानिक है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

जबलपुर के बाद भोपाल में भी हो चुकी है पदस्थापना

सालों से जिला पंचायत में पदस्थ उपायुक्त, दो बार हो चुका स्थानांतरण

नवभारत, जबलपुर। जिला पंचायत जबलपुर में पदस्थ अति मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज कुमार सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। शासन द्वारा दो बार तबादला और भोपाल में पदस्थापना आदेश जारी होने के बावजूद वे अब तक जबलपुर से कार्यमुक्त नहीं हुए हैं। जानकारी के अनुसार उपायुक्त सिंह वर्षों से जबलपुर जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ हैं और अब भी उसी कुर्सी पर बने हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मनोज कुमार सिंह का पहला तबादला 5 अगस्त 2021 को टीकमगढ़ जिले के लिए हुआ था, लेकिन उन्होंने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद शासन ने 6 जून 2025 को उनका स्थानांतरण भोपाल कर दिया। आदेश के मुताबिक, उन्हें विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल में पदस्थ किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि 18 जून 2025 को भोपाल में उनकी पदस्थापना भी हो चुकी है, इसके बावजूद चार महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी सिंह जबलपुर जिला पंचायत में ही कार्यरत हैं।

कुर्सी नहीं छोड़ी, सवाल कई

सूत्रों के अनुसार, मनोज सिंह अब भी जिला पंचायत जबलपुर में कार्यालय आते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर असंतोष और सवाल दोनों बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि भोपाल में जहां इनकी पदस्थापना की गई, वहां का कार्यभार कौन संभाल रहा है.. ?और जबलपुर जिला पंचायत में अति मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर अब तक किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई.. ?

इतने लंबे समय तक कैसे टिके..?

शासन के नियमों के अनुसार, स्थानांतरण आदेश के बाद अधिकारी को निर्धारित समय सीमा में नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना होता है। लेकिन मनोज कुमार सिंह का एक ही स्थान पर इतने लंबे समय तक टिके रहना अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है।

इनका कहना है

अभी तक कोई अतिरिक्त सीईओ में रिप्लेसमेंट नहीं आया है, इसलिए उपयुक्त जबलपुर जिले से रिलीफ नहीं किए गए हैं, जैसे ही कोई आ जाता है तो यहां से उन्हें रिलीफ कर दिया जाएगा।
अभिषेक गहलोत
सीईओ
जिला पंचायत

भाजपा कार्यकारिणी की जारी कथित सूची ने मचाया हड़कंप

सोशल मीडिया में दी जाने लगीं चयनित नेताओं को शुभकामनाएं
जिला अध्यक्ष ने कहा.. फैलाया जा रहा है भ्रामक संदेश

नवभारत, जबलपुर। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की कथित जारी सूची ने हड़कंप मचा दिया। जहां एक ओर जिन भाजपा नेताओं के नाम सूची में शामिल थे वे बहुत खुश नजर आए तो वहीं दूसरी ओर भाजपा जिला अध्यक्ष ने नवभारत से चर्चा कर इसे भ्रामक संदेश बताया और स्पष्ट किया कि संगठन स्तर पर किसी भी तरह की कोई सूची जारी नहीं की गई है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में भाजपा के उन नेताओं को बधाईयां दी जाने लगीं जिनका कथित सूची में चयन किया गया था। चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ तो पार्टी के दिग्गज नेताओं के कहने के बाद सोशल मीडिया से सभी पोस्ट डिलीट करा दीं गईं। हालांकि सूत्रों की माने तो भाजपा जिला कार्यकारिणी की सूची में इस बार युवा चेहरों को मौका दिया गया है जिससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुंह फूले हुए हैं। सोशल मीडिया में जारी पोस्ट के मुताबिक भाजपा महानगर की कार्यकारिणी की सूची बनकर तैयार है जिसे आरएसएस की बैठक के बाद 5 नवंबर तक औपचारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। चर्चाएं तो ये भी हैं कि भाजपा संगठन को डर है कि यदि अधिकृत लिस्ट जारी होने के बाद अगर अभी विरोध हुआ तो संघ के पदाधिकारियों के सामने पार्टी की छवि खराब होगी।

कथित सूची में इनको दिए गए दायित्व

बीजेपी की नई महानगर कार्यकारिणी में प्रणीत वर्मा, सोनू बचवानी, पंकज दुबे, रजनीश यादव, संकल्प पाठक, रंजीत पटैल, सुंदर अग्रवाल, विभा उपाध्याय, अंजू भार्गव, योगेश बिलोंहा, कौशल सूरी एवं राहुल जैन के नाम शामिल रहे।

इनका कहना है

भाजपा की जबलपुर महानगर की कार्यकारिणी की सूची अभी बनी ही नहीं है, तो उसे जारी करने का सवाल ही नहीं खड़ा होता, कुछ भी गलत सूची बनाकर भ्रामकता का संदेश फैलाया जा रहा है।
रत्नेश सोनकर
अध्यक्ष, भाजपा

मैंने भी सुना है कि मेरा नाम भाजपा कार्यकारिणी की सूची में शामिल किया गया है। संगठन स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो मुझे स्वीकार है। ये सूची अधिकृत है या कि फर्जी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
सुंदर अग्रवाल
भाजपा नेता, कैंट विधानसभा

जीसीएफ के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा सिवनी का युवक

सुरक्षा कर्मियों ने दबोचा, थाने में दर्ज कराई एफआईआर

जबलपुर। घमापुर थाना अंतर्गत जीसीएफ निर्माणी के प्रतिबंधित क्षेत्र में सिवनी निवासी एक युवक अपराध करने के इरादे से घुस गया। जब इसके मूवमेंट की खबर सुरक्षा कर्मियों को लगी तो हड़कंप मच गया। हालांकि उसे बाद में दबोच लिया गया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया जहां उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक संजय कुमार तिवारी पिता स्व. परसराम तिवारी 53 वर्ष निवासी क्वार्टर नं. 160/3 विद्यानगर जीसीएफ स्टेट घमापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि निर्माणी (जीसीएफ) के अंदर एक संदिग्ध व्यक्ति बिना परमीशन के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपराध करने के उद्देश्य से घुस गया। जिसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम विक्की सिह मरावी पिता तेज सिह मरावी निवासी केवलारी बस स्टैण्ड शरद महाराज के घर के पीछे जिला सिवनी का होना बताया। निर्माणी (जीसीएफ) गोपनीय एवं सवेदनशील इलाका है। विक्की बिना अनुमति के संदिग्ध हालात में प्रतिबंधित क्षेत्र में मिला। जिसे पकड़ने के बाद सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षा विभाग के आफिस में अनुभाग प्रमुख के सामने लेकर गए थे बाद में उसे घमापुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया जिसके बाद पुलिस ने विक्की सिंह मरावी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की।

ट्रेन में चढ़ते समय फिसला पैर, यात्री चोटिल

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी जबलपुर-अमरावती ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया। मौके पर मौजूद आरपीएफ आरक्षक की तत्परता से यात्री की जान बच गई। घटना मंगलवार 28 अक्टूबर की रात करीब 9.20 बजे की है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी अमरावती एक्सप्रेस जैसे ही चलने लगी, तभी कोच बी1 पर चढने की कोशिश कर रहे यात्री निखिल जायसवाल (46) का पैर फिसल गया। वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, तो ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ आरक्षक राजबहादुर सिंह तुरंत वहां पहुंचे और फुर्ती दिखाते हुए यात्री को बाहर खींच लिया। हादसे में निखिल के पैर में मामूली चोट आई। आरपीएफ कर्मियों ने तुरंत उसे प्राथमिक उपचार दिलवाया और बाद में दूसरी ट्रेन से उसे उसके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया।

श्रीधाम-भदनपुर रेलखंड पर नए ट्रैक्शन सिस्टम को मिली मंजूरी

जबलपुर। भारतीय रेल ट्रैकों की क्षमता, ट्रेनों की गति एवं फ्रेट लोडिंग बढ़ाने के लिए अधोसरंचना कार्यों को गति प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिसके अंतर्गत भारतीय रेलवे द्वारा मिशन 3000 मिलियन टन एवं मिशन रफ्तार की जैसी योजनायें तैयार की जा रही है। इन योजनाओं को सुनिश्चित करने के किये भारतीय रेलवे ने एक नया 2×25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम शुरू किया गया है, जो पारंपरिक ओवरहेड उपकरणों की जगह लेगा। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रेन की गति बढ़ाना और ऊर्जा की हानि को कम करना है, जो कि संतुलित संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केन्द्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जबलपुर से कटनी रेलवे का व्यस्त सेक्शन है। ज्यादा गाड़ी चलाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम को 2म25 केवी लेवल पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। इससे मुंबई-प्रयागराज ट्रंक रूट पर अधिक गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। अगले तीन वर्षों में 437 करोड़ रुपए के निवेश से यह सेक्शन अपग्रेड हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2म25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम एक रेलवे विद्युतीकरण प्रणाली है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए किया जाता है। इसमें, ट्रैक्शन सब-स्टेशन 50 केवी पर बिजली की आपूर्ति करता है, और इसे ऑटो-ट्रांसफार्मर का उपयोग करके 25 केवी पर परिवर्तित किया जाता है।

ट्रैवल्स बस-ट्रक में भिड़ंत : कार घुसी, जबलपुर के तीन कारोबारियों की मौत

जबलपुर-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग देवलापार वडाम्बा में दर्दनाक हादसा, 12 घायल

जबलपुर। जबलपुर-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवलापार थाना अंतर्गत वडाम्बा समीप बुधवार दोपहर करीब दो बजे ट्रैवल्स बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। इस बीच कार दोनों वाहनों के बीच में जाकर घुस गई। हादसे में जबलपुर के तीन कारोबारियों की मौत हो गई। जबकि 12 लोग घायल है। टक्कर इतनी जोरदार रही कि हादसे में बस और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। जब हादसे की खबर मृतकों के परिजनों को लगी तो मातम पसर गया। परिजन तुरंत घटना स्थल की ओर रवाना हो गए जब उन्होंने अपनों की लाशें देखी तो चीख पुकार मच गई। परिजनों का रोककर बुरा हाल थ उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था उनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जबलपुर-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवलापार थाना अंतर्गत वडाम्बा समीप दोपहर दो बजे बस क्रमांक एमपी-22, जेडजी-5822 नागपुर की ओर आ रही थी। इसी बीच नागपुर से जबलपुर जा रही कार क्रमांक एमपी-20, जेडए 0014 के सामने अचानक एक बाइक आ गई। दोपहिया को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। खड़े ट्रक क्रमांक आरजे-11, जीसी-6663 से बस टकरा गई। इस दौरान कार भी दोनों वाहनों में घुस गई।

रेस्टोरेंट, ढाबा, टेंट संचालकों की मौत से शोक की लहर

कपिल साहनी साहनी टेंट के संचालक है और अमित अग्रवाल रेस्टोरेंट मालिक हैं। जबलपुर संचालक संजय (मोनू) ज्बालि रेस्टोरेंट व मचान ढ़ाबा संचालक है। तीन बड़े युवा व्यवसायों की सड़क हादसे में मौत की खबर से शहर में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही जबलपुर से उनके परिजन व मित्र दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए।

इनकी मौत, खुशियां मातम में बदली

कार सवार कपिल मोहनलाल सहानी (50) निवासी गोरखपुर रोड, जबलपुर, अमित अनिल अग्रवाल (51) तिलहरी, जबलपुर और संदीप केदारनार्थ सोनी (51) भेड़ाघाट रोड, जबलपुर की मौत हो गई। जबकि 12 लोग घायल है। तीनों दोस्त है और वह काम के सिलसिले में नागपुर गए थे तीनों दोस्त वापिस लौट रहे थे। घर लौटने की खुशी थी। परिजन भी इंतजार कर रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खुशियां मातम में बदल गई।

तूफान मोंथा से बदला मौसम चली हवाएं, मंडराए बदरा

जबलपुर। चक्रवातीय तूफान मोंथा के असर से मौसम का मिजाज बदल गया। बुधवार को सुबह से बादलों का डेरा रहा। दिन चढ़ने के बाद सूर्यदेव और बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहा। हवाएं भी चली। पारे में उतार चढ़ाव और मौसम की बदली रंगत के साथ ठंडी हवाओं के चलते ठंड का एहसास भी बढ़ गया। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से दो डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक रहा।

आवश्यकता है केयर टेकर की

आवश्यकता है भोपाल में लकवा के मरीज की देखभाल के लिए एक फुल टाइम केयरटेकर की, जो मरीज की संपूर्ण देखभाल कर सके.
कम से कम दो वर्ष के अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता.
12 घंटे की ड्यूटी, वेतन- 15000/-
संपर्क करें
9826461065

श्री शुभम् हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर
श्री Shubham Hospital
मल्टी स्पेशियेलिटी हॉस्पिटल
★ जनरल मेडिसिन ★ हृदय रोग ★ नेत्र रोग ★ अस्थि रोग ★ जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी
★ न्यूरो तथा स्पाइन ★ नाक-कान-गला रोग ★ कैंसर ★ स्त्री एवं प्रसूती रोग ★ बाल रोग
24/7 आकस्मिक चिकित्सा, भर्ती, एम्बूलेंस, दवाईयां सुविधा उपलब्ध है
दशमेश द्वार, मदन महल चौक, नागपुर रोड, जबलपुर फोन. 0761.4051253 मो.9329486447

मोहन्ती चेस्ट हॉस्पिटल
डॉ. ए.पी. मोहन्ती
(एम.डी.चेस्ट वरिष्ठ छाती एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ)
एम.डी.आर. टी.बी., निमोनिया, फेफड़ों में जमे पानी का इलाज, दमा, सांस फूलने का इलाज, एलर्जी टेस्ट, स्लीप स्टडी, स्पाईरोमेट्री, ब्रॉकोस्कोपी एवं धूम्रपान छुड़ाना।
पता
जबलपुर हॉस्पिटल के सामने, रसल चौक जबलपुर
0761-3585408, 7999985457
0761-4047091, 7898409109

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57